न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

जयप्रकाश देवठिया .... बनाम .... तहसीलदार सीकर ग्रामीण

किस्म मुकदमा .... 136 LR .... मु.नं. 357 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र
09/09/25	प्रार्थीगण जय प्रकाश देवठिया पुत्र गोपीराम, विनोद देवठिया पुत्र गोपीराम, कमला देवी पत्नी गोपीराम समस्त जाति चारन निवासीगण ग्राम सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 328 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्ठियां जय प्रकाश पुत्र गोपाल, पंकज पुत्र गोपाल, कमला पत्नी गोपाल दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीगण के नाम की सही प्रविष्ठियां क्रमशः जय प्रकाश देवठिया पुत्र गोपीराम, विनोद देवठिया पुत्र गोपीराम, कमला देवी पत्नी गोपीराम है। प्रार्थीगण के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों के अनुसार प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्ठियां क्रमशः जय प्रकाश देवठिया पुत्र गोपीराम, विनोद देवठिया पुत्र गोपीराम, कमला देवी पत्नी गोपीराम अंकित हैं, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्ठियां जय प्रकाश पुत्र गोपाल, पंकज पुत्र गोपाल, कमला पत्नी गोपाल के स्थान पर उक्त प्रविष्ठियां क्रमशः जय प्रकाश देवठिया पुत्र गोपीराम, विनोद देवठिया पुत्र गोपीराम, कमला देवी पत्नी गोपीराम दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थीगण के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/2282 दिनांक 09.07.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट्स मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट्स मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट्स मुताबिक प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थीगण का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की उक्त रिपोर्ट्स के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 328 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्ठियां जय प्रकाश पुत्र गोपाल, पंकज पुत्र गोपाल, कमला पत्नी गोपाल के स्थान पर उक्त प्रविष्ठियां क्रमशः जय प्रकाश देवठिया पुत्र गोपीराम, विनोद देवठिया पुत्र गोपीराम, कमला देवी पत्नी गोपीराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन के लिए संबंधित खातेदारान/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/2282 दिनांक 09.07.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:25:12 IST
Reason: SelfAttested